भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 576

उत्तर देने की तारीख : 03.12.2025

तेलंगाना में अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र-प्रायोजित योजनाएं

576. श्री कुंदुरु रघुवीर:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में विशेषकर तेलंगाना राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण, शिक्षा और आर्थिक उत्थान के लिए कार्यान्वित की गई प्रमुख केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तेलंगाना में नई मंजिल, नई रोशनी, सीखो और कमाओ, पीएमजेवीके (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) और मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल कितनी निधि आवंटित की गई है, जारी की गई है और उपयोग की गई है;

(ग) क्या नलगोन्डा जिले को पीएमजेवीके की किसी परियोजना अथवा क्लस्टर विकास पहल के अंतर्गत शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा तेलंगाना के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की संतृप्ति और बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय छह (6) केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान मंत्रालय की मुख्य योजनाओं और तेलंगाना राज्य में प्राप्त उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK):

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) एक केंद्र-प्रायोजित योजना है जो देश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, कौशल विकास, शिक्षा, महिला केंद्रित परियोजनाएं, पेयजल एवं आपूर्ति, स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन और अन्य सामुदायिक बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना के निर्माण हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है।

परियोजनाओं का मसौदा निर्माण/तैयारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा किया जाता है। पीएमजेवीके के अंतर्गत अनुमोदित परियोजना इकाइयों का निष्पादन, संचालन और देख-रेख, संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों (UT) के प्रशासन, जैसा भी लागू हो, की पूर्ण जिम्मेदारी है। मंत्रालय आवंटित परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का आकलन करने के लिए नियमित रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करता है। इसके अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और उन्हें समय पर पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कार्यशालाएं भी आयोजित की गई हैं।

इस योजना के अंतर्गत, तेलंगाना के नलगोंडा जिले में पिछले 3 वर्षों में कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है और न ही तेलंगाना राज्य को कोई निधि जारी की गई है। फिर भी, मंत्रालय देश के सभी जिलों में, जिनमें सभी आकांक्षी जिले भी शामिल हैं, PMJVK योजना लागू कर रहा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उन अभिज्ञात क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का प्रस्ताव कर सकते हैं जहां कैचमेंट क्षेत्र (15 किमी त्रिज्या) में अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता 25% से अधिक है।

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS):

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना का लक्ष्य चार प्रमुख क्षेत्रों **(i)** आधुनिक और पारंपरिक कौशल**, (ii)** महिलाओं में नेतृत्व और उद्यमिता विकास**,** (iii) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) के माध्यम से शिक्षा**,** और **(iv)** प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम **(**PMJVK**)** के माध्यम से बुनियादी ढांचा विकास में हस्तक्षेप के माध्यम से छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देना है।

मंत्रालय ने पूर्व में सीखो और कमाओ, नई रोशनी और नई मंज़िल जैसी विभिन्न कौशल विकास योजनाएँ लागू की थीं। इन योजनाओं को केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के रूप में लागू किया गया था और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई वास्तविक/वित्तीय लक्ष्य आवंटित नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, उल्लिखित तीन योजनाओं के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2022-23, वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25) के दौरान कोई नई परियोजना आवंटित नहीं की गई थी, क्योंकि इन तीनों योजनाओं को बंद कर दिया गया था और इनका एक नई पीएम विकास योजना में विलय कर दिया गया था।

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पीएम विकास योजना की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय जमीनी स्तर पर मजबूत उपस्थिति वाली कार्यान्वयन एजेंसियों को शामिल कर रहा है। प्रशिक्षण केंद्र लाभार्थी समूहों के नजदीक स्थापित किए जा रहे हैं और पारदर्शिता के लिए उन्हें जियो-टैग किया जा रहा है। ग्रामीण कारीगरों और युवाओं को कौशल विकास, एनआईओएस से जुड़ी शिक्षा और लोक संवर्धन पर्वों में भागीदारी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। इन प्रयासों से अंतिम छोर तक सेवाएं पहुंचाने में मदद मिलती है और ग्रामीण अल्पसंख्यक समुदायों की अधिक भागीदारी संभव हो पाती है।

छात्रवृत्ति:

मंत्रालय ने **6** अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए विभिन्न शैक्षिक सशक्तीकरण योजनाएं अर्थात् **(i)** मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना**, (ii)** मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना**, (iii)** मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

लागू की हैं। इन योजनाओं को केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के रूप में लागू किया गया है और इनमें तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित स्कूल शिक्षा से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई शामिल है।

हालांकि, छात्रवृत्ति योजनाओं को वर्ष 2021-22 के बाद लागू करने की स्वीकृति नहीं दी गई है। तेलंगाना में योजना के पिछले तीन वर्षों के कार्यान्वयन के दौरान छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधि का विवरण इस प्रकार है:

तेलंगाना में शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से शैक्षणिक वर्ष 2021-22 तक योजना-वार छात्रवृत्तियों का संवितरण						
वर्ष	मैट्रिक –पूर्व			मैट्रिकोत्तर		
	नई	नवीनीकृत	राशि (करोड़ रू. में)	नई	नवीनीकृत	राशि (करोड़ रू. में)
2019-20	82920	88988	60.28	12007	5386	13.9
2020-21	64374	91663	56.6	11273	7099	14.63
2021-22	84319	93252	61.29	12915	7928	16.8
कुल	**231613**	**273903**	**178.17**	**36195**	**20413**	**45.33**

एनएमडीएफसी:

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) देश भर में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के 'पिछड़े वर्गों' के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए स्वरोजगार आय सृजन उद्यमों को रियायती ऋण प्रदान करके अपनी योजनाओं को लागू करता है। NMDFC की योजनाओं को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, पंजाब ग्रामीण बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 तक एनएमडीएफसी द्वारा केनरा बैंक को पुन:वित्तपोषण के माध्यम से तेलंगाना राज्य के लाभार्थियों को जो सहायता प्रदान की गई है, वह इस प्रकार है:-

क्रम.	वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	2021-22	1.55	169
2.	2022-23	6.08	669
3.	2023-24	0.22	35
4.	2024-25	0.04	8

*****